खेजड़ी बचाओ आंदोलन का वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ने समर्थन किया

बीकानेर में 363 संतों के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने अनशन-धरना शुरू किया, लोग आंखों पर पट्टी बांधकर धरने पर बैठे हैं

बीकानेर में खेजड़ी बचाओं आन्दोलन के समर्थन में महापड़ाव मंगलवार को भी जारी रहा।

- खेजड़ी बचाने के लिये सख्त कानून बनाने सहित दो सूत्रीय मांगों को लेकर पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है
- कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने आन्दोलन का समर्थन करते हुए जल्द कानून बनाने की मांग दोहराई
- पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी आंदोलन का समर्थन किया, राजे ने सोशल मीडिया पर खेजड़ी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की
- संतों की स्पष्ट मांग है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता, तब तक एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए

बीकानेर, (निसं)। खेजड़ी बचाने के लिये सख्त कानून बनाने सहित दो सूत्रीय मांगों को लेकर पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है, जिसके चलते 363 संतों के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने अनशन-धरना शुरू कर दिया है। लोग आंखों पर पट्टी बांधकर अनशन-धरने पर बैठे हैं। संतों के साथ कई भक्तों ने खाना छोड़ने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार खेजड़ी बचाने के लिये चल रहे इस आन्दोलन को अब नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खेजड़ी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा कि मैं भी खेजड़ी की पूजा करती हूं। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। इसे बचाना चाहिए। मैं खेजड़ी और ओरण (गोचर भूमि) को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने भी इस आन्दोलन का समर्थन करते हुए जल्द कानून बनाने की मांग दोहराई है। पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि सीएम भजनलाल चाहे तो आज ही विधानसभा में घोषणा कर सकते हैं कि ये कानून बनाया जाएगा। दो दिन के अंदर कानून बनना चाहिए। वहीं आन्दोलन को समर्थन करने के लिये नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के भी एक दो दिन में महापड़ाव स्थल पर आने की संभावना है।

संत सच्चिदानंद ने बताया कि पत्थर कठोर होता है, उसे तोड़ने के लिये कठोर बनना पड़ता है। सरकार मान नहीं रही है, इसलिए साधू-संत पर्यावरण प्रेमियों के साथ अनशन पर बैठे हैं। सरकार एक आदेश जारी कर दें कि खेजड़ी सहित 50 साल पुराना पेड़ किसी भी परियोजना में काटा न जाए। यदि पेड़ काटता है, उस स्थान के अधिकारियों को पाबंद किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार का एमओयू हुआ है, उसे निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर बार आश्वासन दे रही है कि कानून बनाएंगे, किन्तु कानून बना नही रही है। जब तक सरकार यह नहीं बताएंगी आखिर कब कानून बनेगा, तब तक अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिये सिर कटाए थे। हम कानून नहीं बनाने पर प्राण त्याग देंगे। साधू-संतों ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य पेड़ बचाना है। सनातन की सरकार है, परन्तु उस सरकार पर किसी प्रकार की जूं तक नहीं रेंगी। संतों की स्पष्ट मांग है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता, तब तक एक पेड़ भी नहीं कटना चाहिए।

राजस्थान सहित प्रदेशभर से आए प्रदर्शनकारियों के लिए बिश्नोई धर्मशाला छोटी पड़ गई। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग टैंट में ही सो गए। कुछ लोगों ने रात जागकर ही गुजारी। उधर, पुलिस प्रशासन पूरी तरह हरकत में है। कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के लिए एसटीएफ को तैनात किया गया है। आंदोलन से जुड़े नेताओं से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है।

नोखा ने खेजड़ी कटाई रोकने पर मारपीट का आरोप

- खेजड़ी कटाई रोकने पर मारपीट, स्कार्पियो-थार में तोड़फोड़ की, एफआईआर दर्ज

नोखा, (निसं)। सोमलसर निवासी रुपाराम जाट ने नोखा थाने में अवैध खेजड़ी कटाई, मारपीट और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का मुकदमा सोमवार देर रात्रि में दर्ज करवाया है। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।

शिकायत के अनुसार, बीते दिन 1 फरवरी को शाम 8 से 8:30 बजे के बीच रामदेवरा रोड स्थित एक सोलर प्लांट पर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे। रुपाराम जाट को सूचना मिली कि सोलर प्लांट पर खेजड़ी की कटाई हो रही है। वह कुम्भाराम और अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां नारायण राठी, ऋषभ राठी, महेंद्र सिंह, हरिकिशन पंचारिया रोड़ा और हरिकिशन इंजीनियर खेजड़ी काटते हुए मिले। जब ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। महेंद्र सिंह खेजड़ी से भरी ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गया। हरिकिशन इंजीनियर, हरिकिशन पंचारिया रोड़ा, नारायण राठी और ऋषभ राठी एक कैंपर में बैठकर भागने लगे।

उन्होंने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गाड़ी से लाठियां और रॉड निकालकर राकेश लेघा और धन्नाराम महिया के साथ मारपीट की गई, जिससे राकेश के पैर और धन्नाराम के हाथ में चोटें आईं। आरोप है कि इस दौरान रुपाराम की स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और दिनेश के साथ भी मारपीट की गई।

जयपुर में गरिमा परियोजना का शुभारंभ

- कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली, जयपुर, अजमेर एवं कोलकाता सहित विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधियों को कृत्रिम अंग निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी

अजमेर/जयपुर, (निसं)। उत्तर क्षेत्रीय ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर में गरिमा परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस सेवा परियोजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। परियोजना का उद्घाटन उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रैंड मास्टर पुनीत सोहल द्वारा किया गया।

इस अवसर पर ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया की अजमेर लॉज संख्या सैंतालीस के मास्टर नितिन ओहरी ने बताया कि गरिमा परियोजना के तहत राजपूताना लॉज, जेवियर लॉज एवं कोहिनूर लॉज ऑफ इंडिया तथा उत्तर क्षेत्र के सहयोग से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को कृत्रिम अंग निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली, जयपुर, अजमेर एवं कोलकाता सहित विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधियों को कृत्रिम अंग निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही जिन रोगियों को कृत्रिम अंग लगाए गए, उनसे संवाद करवाया गया, जिससे उपस्थित प्रतिनिधियों को इस सेवा कार्य के सामाजिक प्रभाव की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। कार्यक्रम में अजमेर लॉज संख्या सैंतालीस से नितिन ओहरी, जय करणा एवं गजेन्द्र पंचोली ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर पुनीत सोहल, संजय मेहरा, हेमंत हंसुका, टिम्मी सोनी, आई एम एस नागपाल, वाई एस लांब, पंकज जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

Office of the Executive Engineer, PHED, Distt Rural Div I Bikaner
Email ID - eepheddn1bkn@gmail.com, Contact No. 0151-2941473
No. 4260-4285 **Notice Inviting Bid : 100-106/2025-26** Date: 27.01.2026
Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 10.02.2026 upto 02.00 PM. Other particulars of bid may be visited on the Procurement Portal http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 364.75 Lacs.
UBN No. PHE2526WSRC11903, PHE2526WSRC11904, PHE2526WSRC11905, PHE2526WSRC11906, PHE2526WSRC11907, PHE2526WSRC11908, PHE2526WSRC11909
DIPR/C/1669/2026
जल सीमित है, इसकी बचत करें।
(Ram Prakash Meena)
Executive Engineer
PHED, Distt (R) Div I Bikaner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त झालावाड
क्रमांक: अधी.अभि./ज.सं.वृ.झा / निविदा-/ 2025-26/7477-7505 दिनांक :- 23-01-2026
ई-निविदा सूचना संख्या 02 वर्ष 2025–26 का संशोधन आदेश
इस कार्यालय के पत्र कमांक 7129-7157 दिनांक 13.01.2026 द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या 02 वर्ष 2025-26 मे निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है।

आईटम	पूर्व निर्धारित अवधि	संशोधित अवधि
आनलाईन निविदा डाऊनलोड/ अपलोड करने की तारीख	दिनांक 16.01.2026 को प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 26.01. 2026 को सांय 6:00 बजे तक।	दिनांक 16.01.2026 को प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 03.02. 2026 को सांय 6:00 बजे तक।
बिड सिक्यूरिटी / मूल दस्तावेज इत्यादि जमा कराने का स्थान एवं दिनांक	दिनांक 27.01.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक (अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत झालावाड)	दिनांक 04.02.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक (अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत झालावाड)
ऑनलाईन वित्तीय बिड खोलने की तारीख	दिनांक 27.01.2026 को सायं 04.00 बजे	दिनांक 04.02.2026 को सायं 04.00 बजे

DIPR/C/2058/2026
अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, झालावाड

भीलवाड़ा में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। प्रतापनगर पुलिस ने मांडल थाने के एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी पिछले दो साल से एक चोरी के मामले में वांछित चल रहा था और इस पर जिले के अलग-अलग थानों में एक दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम गोपाल गुर्जर (37) है, जो मांडल थाना क्षेत्र के जिपियाखेड़ा का रहने वाला है। गोपाल गुर्जर मांडल थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

मामला 28 फरवरी 2023 का है। शहर के मलाण क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग चांदमल तेली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके प्लॉट से चोरों ने एक केबिन, गैंती और फावड़ा चोरी कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही दो अन्य आरोपियों राकेश प्रजापत और नाहर सिंह बंजारा को गिरफ्तार कर लिया था, जो खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन गोपाल गुर्जर तब से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। गोपाल गुर्जर कोई मामूली चोर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे करीब 12 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके खिलाफ मांडल, करेड़ा, पुर और प्रतापनगर थाने में कई मामले विचाराधीन हैं। हाल ही में एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा पुराने मामलों के निस्तारण के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत सीओ सिटी सज्जन सिंह ने कार्रवाई करते हुए इसे धर दबोचा।

स्कूटी चोर गिरफ्तार

बीकानेर, (निसं)। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने स्कूटी चुराने वाले एक शख्स को पकड़ा तो उससे तीन वारदातों का खुलासा हो गया।

व्यास कॉलोनी थाना पुलिस के एसएचओ विक्रम तिवाड़ी ने बताया कि 26 जनवरी को स्कूटी चोरी का केस दर्ज हुआ था। जांच पड़ताल में पता चला कि वारदात को सांगलपुरा निवासी कमल कुमार ने अंजाम दिया है। उसे गिरफ्तार कर चोरी की स्कूटी बरामद की गई। उसने इलाके में बाइक चोरी की तीन वारदातें कबूल की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर हमला किया

अजमेर, (कासं)। शहर में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के दौरान अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पति ने कथित तौर पर पत्नी के होंठ दांतों से काट लिए और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजनों द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता फरीदा की शादी करीब छह वर्ष पूर्व बनारस निवासी अरमान के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों पति-पत्नी लगभग एक वर्ष तक बनारस में साथ रहे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके चलते फरीदा अपने पीहर अजमेर आकर रहने लगी। तब से वह पिछले चार-पांच वर्षों से अजमेर में ही अपने परिजनों के साथ रह रही थी।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अचानक पति अरमान बनारस से अजमेर पहुंचा। यहां दोनों पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अरमान ने आपा खोते हुए फरीदा पर हमला कर दिया और उसके होंठों को दांतों से काट लिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फरीदा की बहन सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल जेएलएन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को स्थिर बताया है, हालांकि चोट गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में षिकायत भी दर्ज करवाने की बात कही है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जालोर
क्रमांकः अअ/जा/2025-26/3832 दिनांकः 23.01.20026
निविदा सूचना संख्या : 25 वर्ष 2025-26
NIB No. PWD2526A5324
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन व सडक निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कुल 3 कार्य जिनकी लागत राशि रू. 49.01 लाख है, अतः उक्तकायों के लिए ईटेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।
ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख : 28 जनवरी 2026 प्रातः 10.00 बजे से 10 फरवरी 2026, सायं 6:00 बजे तक
निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http:// eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

क्र. सं.	यूबीएन नं.	क्र. सं.	यूबीएन नं.
1	PWD2526WSOB21664	2	PWD2526WSOB21665
3	PWD2526WSOB21666		

DIPR/C/1673/2026
(शंकरलाल)
अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड, जालोर मोबाईल 9983975907

मरुधरा की प्यास बुझाने वाली एक विरासत : गिरधारी की तलाई और डांगरा परिवार का गौरव

जैसलमेर की शाही पगड़ी बंदील धारण किये अचलदास डांगरा।

रियासत काल में अचलदास डांगरा परिवार के पूर्वजों द्वारा बनवायी गई गिरधारी की तलाई का दृश्य।

जैसलमेर। जैसलमेर जिले के सुनहरे धोरों के बीच, जहां पानी की एक-एक बूंद अमृत के समान है, वहां 211 साल पहले एक परिवार ने जनहित का ऐसा बीज बोया, जिसकी छाया आज भी जनमानस और मवेशियों को शीतलता दे रही है। यह कहानी है बांधा गांव की और अचलदास डांगरा परिवार के उन पूर्वजों की, जिन्होंने अपनी संपत्ति और समर्पण से समाज का गला तर किया।

रियासतकाल में हर किसी को निर्माण की अनुमति नहीं मिलती थी। तत्कालीन महाराजा द्वारा अचलदास डांगरा परिवार के पूर्वजों को गिरधारी की तलाई बनाने की विशेष अनुमति देना इस बात का प्रमाण है कि यह परिवार रियासत के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय परिवारों में से एक था। जैसलमेर के आधिकारिक पर्यटन पोर्टल पर यहां की जल संरक्षण परंपराओं की महत्ता को समझा जा सकता है।

बंदील : प्रतिष्ठा का आभूषण :-इतिहास गवाह है कि रियासतकाल में बंदील (शाही पगड़ी/पोशाक का हिस्सा) पहनने का अधिकार केवल उन खास लोगों को था जिन्होंने समाज के प्रति असाधारण योगदान दिया हो। डांगरा परिवार को मिला यह सम्मान उनके पूर्वजों के सामजिक कद और महाराजा के साथ उनके गहरे संबंधों को दर्शाता है।

आज भी जीवित है सेवा भावना :-211 वर्षों बाद भी गिरधारी की तलाई में वर्षा का जल एकत्रित होता है। जब आधुनिक तकनीकें विफल हो जाती हैं, तब पूर्वजों द्वारा निर्मित यह पारंपरिक जल स्त्रोत आज भी ग्रामीणों और बेजुबान मवेशियों का सहारा बना हुआ है। यह तलाई केवल एक जल संरचना नहीं, बल्कि डांगरा परिवार की परोपकार परमो धर्मः की जीवित मिसाल है।

अवैध खनन में लिप्त दो जने गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कोटड़ी थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने पिछले 48 घंटों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जब्त की है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी और गारनेट खनन के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। पिछले 2 दिनों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया।

पुलिस ने कार्यवाही के दौरान 1 जेसीबी मशीन, 10 ट्रैक्टर मय ट्रॉली, 1 डंपर और 3 सेपरेटर मशीनों को जब्त किया है। अवैध खनन और परिवहन के मामले में पुलिस ने 7 मुकदमे दर्ज किए हैं और मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। यह पूरी कार्रवाई एसपी धर्मेंद्र सिंह और एएसपी राजेश आर्य के निर्देशन में हुई। वहीं, कोटड़ी थाना अधिकारी महावीर प्रसाद की टीम ने उदलियास सरहद में सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध खनन पर छापा मारकर 3 सेपरेटर मशीनें जब्त की। इसके अलावा, कोठारी नदी के सातोला का खेड़ा इलाके में अलसुबह दबिश देकर बजरी से भरे सात ट्रैक्टरों को पकड़कर सीज किया गया।

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ, खण्ड-चित्तौड़गढ़
सैटेलाईट हॉस्पीटल, कलैक्ट्रेट चौराहा के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.)
क्रमांक :- मेडीकल एण्ड हैल्थ, चित्तौड़गढ़/2025-26/1667 दिनांक: 20.01.2026
ई निविदा सूचना सं. 15/20255-266MHS2526A4283
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत विद्युत/निर्माण कार्यो हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्दीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं, निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट WWW.dipr.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in व वेब साईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।
नोट :- उपरोक्त वर्णित निविदा में आप द्वारा इस खण्ड कार्यालय के बैंक खाते में जमा करायी जाने वाली धरोहर, निविदा, एवं प्रोसेसिंग राशि संवेदक अपने फर्म के खाते से ही हस्तान्तरित करे। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

S. No.	UBN No.	S. No.	UBN No.
1	MHS2526WSOB06113	2	MHS2526WSOB06114
3	MHS2526WSOB06115	4	MHS2526WSOB06116

DIPR/C/1625/2026
(राय सिंह गुर्जर)
अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रेम बाईसा मृत्यु प्रकरण : एसआईटी ने निजी अस्पताल में जांच की

- जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, ताकि घटनाक्रम की सही जानकारी मिल सके
- पुलिस जांच इस समय दो बिंदुओं पर केंद्रित है, इंजेक्शन का रिएक्शन या भोजन में किसी जहरीले पदार्थ की मिलावट
- एफएसएल की रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा होने की उम्मीद है, फिलहाल पूरी नजर विसरा जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है
- प्रेम बाईसा के पिता बीरमनाथ ने पुलिस की ओर से जब्त तीन फोन, जिनमें दो आईफोन शामिल हैं, के पासवर्ड अभी तक नहीं बताए हैं

जोधपुर, (कासं)। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला अब तक पहेली बना हुआ है। गत 28 जनवरी से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं है और अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के करीब एक सप्ताह बाद भी मामले की सभी कड़ियां सुलझ नहीं पाई हैं। इधर इस मौत की जांच के लिए एसीपी छवि शर्मा की अगुवाई में गठित एसआईटी ने आज पालरोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल में मामले को लेकर जांच-पड़ताल व पूछताछ की।

साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की जांच पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आने तक अटक गई है। बार-बार एक ही बात सामने आ रही है कि इंजेक्शन लगने से तबियत बिगड़ी। साध्वी के पिता भी यही बात बार-बार कह रहे हैं। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित किया गया विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विसरा रिपोर्ट इसी सप्ताह मिलने की उम्मीद है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि जांच में जहर की पुष्टि होती है तो पुलिस इसे हत्या मानते हुए गहन आपराधिक जांच शुरू करेगी। पुलिस जांच इस समय दो बिंदुओं पर केंद्रित है, इंजेक्शन का रिएक्शन या भोजन में किसी जहरीले पदार्थ की मिलावट। एफएसएल की रिपोर्ट से ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस, एसआईटी और एफएसएल की पूरी नजर विसरा जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। मामले में पुलिस की धीमी जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं और मामले में निष्पक्षता और समयबद्धता को लेकर चिंता बनी हुई है।

सूत्रों का दावा है कि दूसरी बार जब पुलिस एफएसएल के साथ आश्रम पहुंची, तो घटनास्थल क्लीन मिला। इसका मतलब यह हुआ कि कोई साक्ष्य नहीं मिले और आश्रम को यदि पुलिस ने पहले ही सील किया था तो फिर घटना स्थल पर कोई छेड़छाड़ कैसे हुई, यह भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने आश्रम के सेवादार सुरेश से बयान लिया, लेकिन अभी भी कुछ बातें अस्पष्ट हैं। प्रेम बाईसा की मौत की टाइमिंग को लेकर पिता, कंपाउंडर और अस्पताल के दावों में विरोधाभास है। पिता बीरमनाथ ने पुलिस की ओर से जब्त तीन फोन, जिनमें दो आईफोन शामिल हैं, के पासवर्ड अभी तक नहीं बताए हैं।

मौत की जांच के गठित एसआईटी की टीम आज प्रेक्षा अस्पताल पहुंची। एसआईटी प्रभारी एसीपी छवि शर्मा खुद वहां पहुंची और जांच-पड़ताल की। उन्होंने चिकित्सक व कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम ने अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और डॉक्टरों से प्रेम बाईसा को अस्पताल लाने की परिस्थितियों को लेकर सवाल किए। जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, ताकि घटनाक्रम की सही जानकारी मिल सके। इस दौरान पुलिस ने 28 जनवरी की शाम को जब बाईसा को अस्पताल लाया गया, उस दौरान की स्थिति के लिए उस दिन मौजूद कर्मचारियों को बाहर लाकर उनसे हालात पूछे। एक तरह से रिक्रिएशन कर जानना चाहा कि प्रेम बाईसा किस स्थिति में वहां आई थी। इसके बाद कर्मचारियों के साथ ही एसआईटी प्रभारी छवि शर्मा व बोरानाडा एसएचओ शकील अहमद अंदर तक गए जहां पर बाईसा को ले जाया गया। साथ ही अस्पताल संचालक डॉ. प्रवीण जैन से उपचार से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। करीब एक घंटे तक एसआईटी के सदस्य अस्पताल में रहे। एसआईटी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। जानकारी के अनुसार साध्वी प्रेम बाईसा का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था और तबीयत खराब होने पर उसे सबसे पहले यहीं पर लाया गया था।

प्रभारी एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामले का अनुसंधान करने की यह सामान्य प्रक्रिया है। हम गहनता से जांच कर रहे हैं। एसीपी ने बताया कि इस मामले में 11 लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है। उनकी जानकारियों और साध्वी के पिता की दी रिपोर्ट के अनुरूप ही जांच चल रही है। मेडिकल बोर्ड ने अंतिम ओपिनियन अभी रिजर्व रखी है। साध्वी के मुंह से झाग निकले के सवाल पर उन्होंने कहा कि अस्पताल से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। एसीपी ने बताया कि हम उनसे जुड़े लोगों से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्महत्या थी या सामान्य मृत्यु, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर ही पता चलेगा। एसआईटी जोधपुर में प्रेम बाईसा के आश्रम व अस्पताल की पड़ताल कर चुकी है। अब जल्द ही टीम उनके परेउ स्थित आश्रम भी जाएगी। वहां पर मामले की पड़ताल की जाएगी। लोगों से भी पूछताछ कर जानकारियां जुटाएगी। जिससे कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके।

उन्होंने बताया कि पुलिस को पोस्टमार्टम की शुरूआती रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट सिकुड़ा हुआ था, नाखून नीले हो गए थे। पूरी रिपोर्ट के लिए भेजे गए विसरा की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बोर्ड अपनी ओपिनियन देगा। फिलहाल पुलिस को उम्मीद है कि एक सप्ताह में विसरा की रिपोर्ट मिल जाएगी। पुलिस ने प्रेम बाईसा के बैंक खाते, सोशल मीडिया एकाउंट सभी की पड़ताल की है। पता चला है कि वह बीए अंतिम वर्ष की स्वयंपाठी छात्रा थी। पुलिस को अभी बाईसा के दूसरे फोन का पासवार्ड नहीं मिला है। उम्मीद है कि उस फोन से महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली कलेक्ट्रेट कैम्पस कमरा नं 14, करौली
E-Mall-DLO.KAR@RAJASTHAN.GOV.IN
क्रमांक : सा.न्या.अ.वि./2026/3517 दिनांक : 27/01/26
ई-निविदा - 03/2025-26
श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय सान्याअवि राजस्थान जयपुर के स्वीकृति आदेश कमांक एफ7 (2) (9) (2474) -2 / रा.छा./ब.आ./ सान्या. अवि./ 2024 के राजकाज रेफरेन्स नम्बर 19517004 द्वारा करौली जिले में विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावासों में अनावर्तक (पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड अर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, चद्दर एवं रसोई के बर्तन आदि) क्रय किये जाने है।
अतः इच्छुक रजिस्टर्ड बोनाफाईड विनिर्माता/फर्मो/संस्था/कंपनी / एजेन्सी से निम्नलिखित सामठी क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 या निर्देशानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है

S. No	Item	Estimated Cost	Bid Fees Document	RISL Processing Fee	Earnest Money
1.	करौली जिले में विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावासों में अनावर्तक (पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, चद्दर एवं रसोई के बर्तन आदि) क्रय एवं आपूर्ति दर संविदा	15.80 Lakh	Rs.550/- (online challan to DPSW SJED KARAULI)	Rs. 500/- (online challan to MD RISL JAIPUR)	Bank DD of Rs. 31600/- to DPSW SJED KARAULI)

Bidding Schedule

Sr.No.	Subject	Date	Time
1.	e-publishing Date	27.01.2026	05:00 PM
2.	Document Download Start Date	27.01.2026	05:00 PM
3.	Document Download End Date	06.02.2026	10:00 AM
4.	Bid Submission End Date	06.02.2026	12:00 PM
5.	Online Submission of Tender Fee and Processing Fee Challan (THROUGH E GRAS SINGLE CHALLAN) and SD, A copy must be submitted physically at office.	06.02.202.6	03:00 PM
6.	Technical Bid Opening Date	06.01.2026	05:00 PM

ई-दर संविदा संबंधी शर्ते एवं ई-दर संविदा प्रपत्र sppp.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in & पर विभागीय वेबसाईट https://sje.rajasthan.gov.in से भी कवूदस्वंक किये जा सकते है।
NIB No.- SOC2526A0320
UBN No.- SOC2526GLRC00351
DIPR/C/2037/2026
(बबलू)
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली